अयस्कों के अवैध खनन से संबंधित मुद्दे

प्रिलिम्स के लिये:

अवैध खनन, आईबीएम, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, मानवाधिकार उल्लंघन, राष्ट्रीय खनिज नीति, पीएमकेकेवाई।

मेन्स के लिये:

अवैध खनन के मुद्दे और इससे निपटने के तरीके।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines- IBM)** ने ओडिशा में मैंगनीज़ के अवैध खनन और परिवहन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को चिह्नित किया है।

- IBM, खान मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक सरकारी संगठन है, जो कोयला, पेट्रोलियम **और** प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों तथा लघु खनिजों के अलावा खानों के संरक्षण, खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

IBM की चिंताएँ:

- ओडिशा **भारत का** एक **खनिज समृद्ध राज्य है जहाँ देश का 96.12% क्रोम अयस्क, 51.15% बॉक्साइट रिज़र्व, 33.61% हेमेटाइट** लौह अयस्क और 43.64% मैंगनीज़ है।
- ओडिशा में खनन पट्टाधारकों द्वारा **अपनी खदानों से मैंगनीज़ अयस्क को निम्न श्रेणी के रूप में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को भेजा जा रहा था** , जिसे वे बाद में बिना किसी प्रसंस्करण के उच्च श्रेणी के रूप में बेचते थे।
- ओडिशा में कुछ खनन कंपनियाँ खनन और परिवहन किये गए खनिजों की मात्रा को कम दर्शाने में शामिल हैं, साथ ही वे उचित **रॉयल्टी और करों का भुगतान** नहीं कर रही हैं।
    - ऐसे मुद्दों के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और उन लोगों की आजीविका के लिये गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो अपने भरण-पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
- मैंगनीज़ अयस्क ग्रेड में कमी का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अयस्क की **गुणवत्ता और मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व** का नुकसान हो सकता है।
- राज्य सरकार ने **खनिजों के अवैध खनन और परिवहन में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई** करने तथा खनन कानूनों और विनियमों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।
    - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम की धारा 23C के अनुसार** , राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिये नियम बनाने का अधिकार है।

अवैध खनन क्या है?

- **विषय:**
    - अवैध खनन भूमि या जल निकायों से **आवश्यक परमिट, लाइसेंस या सरकारी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन के बिना** खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
    - इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
- **समस्याएँ:**
    - **पर्यावरण का क्षरण:**
        - यह वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण का कारण बन सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप **वन्यजीवों के आवासों का विनाश** हो सकता है, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
    - **खतरा:**

- अवैध खनन में अकसर **पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग** शामलि होता है, जो **खनकिों** और आस-पास के समुदायों **के लयि गंभीर स्वास्थ्य जोखमि** पैदा कर सकता है।

- **राजस्व की हानि:**
  - इससे **सरकारों को राजस्व का नुकसान** हो सकता है क्योंकि खनकि उचति करों और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
  - इसके महत्त्वपूर्ण आर्थकि प्रभाव हो सकते हैं, वशिषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतकि संसाधन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।
- **मानव अधकिारों के उल्लंघन:**
  - अवैध खनन के परणिामस्वरूप मानव अधकिारों का उल्लंघन भी हो सकता है, जसिमें बलात् श्रम, बाल श्रम और कमज़ोर आबादी का शोषण शामलि है।

भारत में खनन से संबंधति कानून:

- **भारत के संवधिान की सूची II (राज्य सूची) की क्रम संख्या 23 की प्रवष्टिि राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के अंदर स्थति खनजिों के स्वामतित्व के लयि बाध्य करती है।**
- **सूची I (केंद्रीय सूची) की क्रम संख्या 54** पर प्रवष्टिि केंद्र सरकार को भारत के वशिष आर्थकि क्षेत्र (EEZ) के अंदर खनजिों के मालकि होने का अधकिार देती है।
  - इसके अनुसरण में **खान और खनजि (वकिास और वनियिमन) (MMDR) अधनियिम 1957** बनाया गया था।
- **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरटिी (ISA)** खनजि अन्वेषण और नष्किर्षण को नयिंत्रति करती है। यह संधि **संयुक्त राष्ट्र द्वारा नरि्देशति है तथा संधि का एक पक्षकार होने के नाते भारत को मध्य हदि महासागर बेसनि में** 75000 वर्ग कलिोमीटर से **अधकि बहुधात्वकि पडिों का पता लगाने का वशिष अधकिार प्राप्त है।**

भारत में खनन क्षेत्र परदिृश्य:

- **परचिय:**
  - भारत में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज़, ताँबा, सोना, जस्ता, सीसा और अन्य खनजिों के बड़े भंडार के साथ एक **समृद्ध खनजि संसाधन** आधार है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण है, **यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% है और लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।**
- **आँकड़े:**
  - वत्ति वर्ष 2021-22 में भारत में **8.55% की वृद्धि** के साथ **कोयले का उत्पादन 777.31 मलियिन टन (MT)** रहा।
  - वर्ष 2021 तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत वशि्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
  - वत्ति वर्ष 2022 में भारत में 190,392 करोड़ (24.95 बलियिन अमेरकिी डॉलर) रुपए का खनजि उत्पादन होने का अनुमान है।
  - **लौह अयस्क उत्पादन के मामले में भारत वशि्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।** वत्ति वर्ष 2021 में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 204.48 मीट्रकि टन रहा।
  - वत्ति वर्ष 21 में भारत में एल्यूमीनयिम का संयुक्त उत्पादन (प्राथमकि और माध्यमकि) 4.1 मीट्रकि टन प्रतवि्र्ष था, **जसिसे यह एल्यूमीनयिम का वशि्व का दूसरा उत्पादक बन गया।**

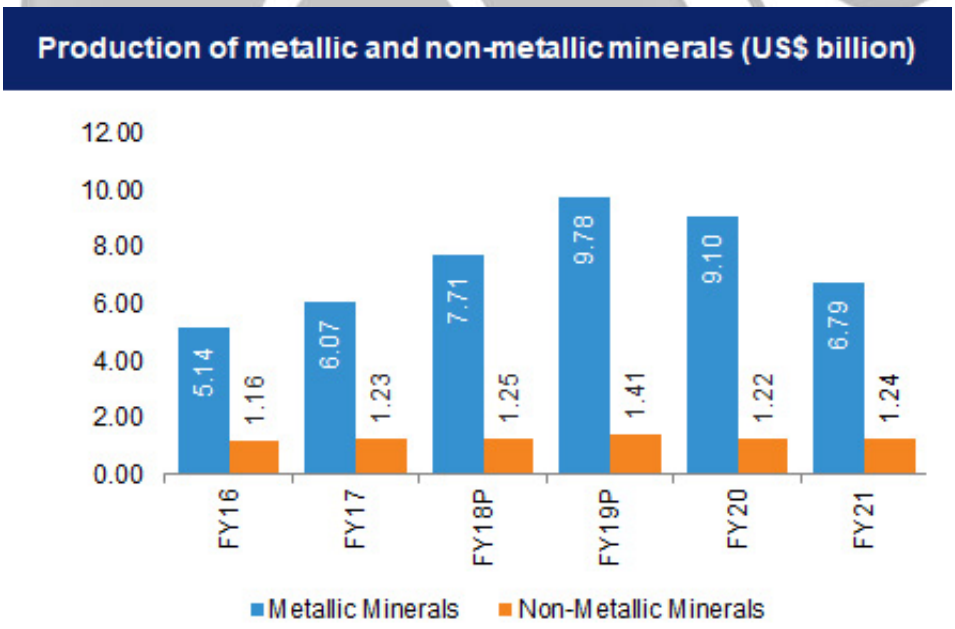

//

मैंगनीज़:

- यह एक ठोस, स्लेटी रंग की धातु है जो आमतौर पर पृथ्वी की**भू-पपड़ी** में पाई जाती है और **इसमें सबसे प्रचुर मात्रा पाया जाने वाला बारहवाँ तत्त्व है।**
- मैंगनीज़ मनुष्य, पशुओं और पौधों के लयि एक आवश्यक पोषक तत्त्व है। यह कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एवं अमीनो एसडि के चयापचय के लयि आवश्यक है।
- मैंगनीज़ का उपयोग वभिन्नि औद्योगकि अनुप्रयोगों में कयिा जाता है, जसिमें इस्पात, एल्यूमीनयिम मश्रि धातु और बैटरी का उत्पादन शामलि है।
- मैंगनीज़ लौह अयस्क को गलाने के लयि एक महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग फेरो मश्रि धातुओं के नरि्माण के लयि भी कयिा जाता है। लगभग सभी भूवैज्ञानकि संरचनाओं में मैंगनीज़ के नकि्षेप पाए जाते हैं। **हालाँकि यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है।**
- ओडशिा मैंगनीज़ का प्रमुख उत्पादक है। ओडशिा में प्रमुख खानें भारत के लौह अयस्क बेल्ट के मध्य भाग में स्थति हैं**।वशिेष रूप से बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर में।**

अवैध खनन के मुद्दों से नपिटने के उपाय:

- **कानूनी और नयिामक ढाँचा:**
  - अवैध खनन को रोकने में इसे और अधकि प्रभावी बनाने के लयि**खनन से संबंधति वधिकि एवं नयिामक ढाँचे को मज़बूत कयि जाने की आवश्यकता है।**
  - इसके लयि **कानून को मज़बूत बनाकर, प्रवर्तन तंत्र में सुधार करके और अवैध खनन गतविधियिों के लयि दंडों में कुछ सख्त बदलाव** कयिा जा सकता है।
- **जाँच एवं नगिरानी:**
  - **सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और GPS जैसी आधुनकि तकनीकों के इस्तेमाल से अवैध खनन** गतविधियिों की नगिरानी एवं पता लगाने में मदद मलि सकती है।
- **हतिधारकों के बीच सहयोग:**
  - खनन कंपनयिों को स्थानीय समुदायों के साथ मलिकर काम करना चाहयि ताकि उनकी चतिाओं को दूर कयिा जा सके, साथ ही यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि उनकी गतविधियिाँ धारणीय हैं।
- **जागरूकता और शकि्षा:**
  - जागरूकता और शकि्षा अभयिान पर्यावरण एवं समाज पर अवैध खनन के हानकिारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं। यह लोगों को **अवैध खनन गतविधियिों की सूचना अधकिारयिों को देने हेतु प्रोत्साहति करेगा।**
- **धारणीय खनन अभ्यास:**
  - धारणीय खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने से **अवैध खनन की मांग को कम करने में मदद मलि सकती है।**
  - इसमें खनन कंपनयिों को ज़म्मिेदार खनजि साधन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजकि ज़म्मिेदारी जैसी टकिाऊ प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहति करना शामलि है।

खनन से संबंधति सरकारी पहलें:

- **राष्ट्रीय खनजि नीति 2019:** इसका उद्देश्य **खनजि अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, धारणीय खनन वधियिों** को बढ़ावा देना एवं नयिामक प्रक्रयिाओं को कारगर बनाना है।
- **प्रधानमंत्री खनजि क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** यह खनन प्रभावति क्षेत्रों और सागरमाला परयिोजना हेतु एक कल्याणकारी योजना है, जसिका उद्देश्य खनन क्षेत्र के वकिास का समर्थन करने हेतु बंदरगाह के बुनयिादी ढाँचे का वकिास करना है।

नष्किर्ष:

- अवैध खनन के मुद्दे को उजागर करने हेतु बहु-आयामी दृष्टकिोण की आवश्यकता है जसिमें कानूनी और नयिामक ढाँचे को मज़बूत करना, जाँच एवं नगिरानी में सुधार करना, धारणीय खनन वधियिों को बढ़ावा देना तथा जागरूकता व शकि्षा अभयिान शुरू करना शामलि है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतशित का योगदान देता है। चर्चा कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. "प्रतकिूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन के वकिास के लयि अभी भी अपरहिार्य है"। चर्चा कीजयि। (मुख्य

परीक्षा,2017)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/issues-related-to-illegal-mining-of-ores